न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा टी.सी. आवंटन
प्रकरण संख्या 28/2023 (GCMS: 2023/51)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

बनाम

जवाहर लाल पुत्र पन्नाराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नम्बर 10, सूरतगढ़, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 25.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजकुमार नागपाल, राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक श्री जवाहर लाल छिम्पा पुत्र श्री पन्नाराम जाति छिम्पा निवासी वार्ड नम्बर 26 सूरतगढ के खसरा नं. 496/7 की 25.00 बीघा बारानी टी.सी. पर आवंटित भूमि मास्टर प्लान के अनुसार नगरपालिका सूरतगढ़ के परिधि नियंत्रण क्षेत्र (पैराफेरी) में पड़ती है, जिस हेतु नगरपालिका ने अनापत्ति प्रमाण जारी किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त भूमि पर नगरपालिका द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। मास्टर प्लान में उक्त भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ/अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है। इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी को दिये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2043–46 (वर्ष 1986–88), सम्वत् 2076-79 (वर्ष 2019-22) की प्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत नगरपालिका सूरतगढ़ के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित भूमि रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा नम्बर 496/7 का 6.325 हैक्टेयर रकबा जो तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ द्वारा नगरपालिका सूरतगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में मानकर टी.सी. खारिज किया है तथा नगरपालिका उक्त रकबा टी.सी. आवंटन निरस्ती के पश्चात रकबाराज होने के बाद नगरपालिका सूरतगढ को आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने आरक्षित कर हस्तान्तरित कर दिया तथा यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका के नाम दर्ज हो चुका है।

उनका आगे यह भी कथन है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा अप्रार्थी की उक्त टी.सी. रकबा खारिज करने के पश्चात आबादी विस्तार हेतु नगरपालिका सूरतगढ के नाम अमलदरामद किया गया था, फिर भी अप्रार्थी द्वारा इन तथ्यों को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत रिविजन में छुपाया गया था। जबकि उक्त भूमि पर नगरपालिका हित प्रभावित होते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि जो आवंटी जवाहर लाल को एक–एक वर्ष के लिए आवंटित होती रही है, उसमें जवाहर लाल को बिना आवंटन के कोई अधिकार नहीं मिलते है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सूरतगढ के खसरा नम्बा 496/7 की 6.325 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2006 से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को दिये जाने के आदेश [illegible] थे । उक्त आदेश दिनांक 08.09.2006 के विरूद्ध अप्रार्थी [illegible] माननीय मण्डल में दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

29.07.2019 को निगरानी पेश की जो कि लगभग 13 साल पश्चात माननीय मण्डल निगरानी पेश करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। वर्ष 1988 के पश्चात अप्रार्थी जवाहर लाल द्वारा टी.सी. आवंटन भूमि का नवीनीकरण क्यों नहीं करवाया? यदि अप्रार्थी जवाहर लाल उक्त विवादित भूमि काश्त पर निर्भर है तो वर्ष 2006 से 2019 तक अप्रार्थी जवाहर लाल अपना जीवनयापन किस प्रकार करता था, कोई कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 496/7 की 6.325 हैक्टेयर भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त हेतु (टी.सी.) पर आवंटित की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग, जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के द्वारा ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्र में आती है और इस भूमि को न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का पुख्ता आवंटन व खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तों व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2006 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन खारिज किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एल.आर. संख्या 3960/2019 पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.01.2023 के द्वारा यह प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 08.09.2006 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया था। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 12.01.2023 के अनुसार आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकारी इसी न्यायालय को है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:46 IST
Reason: SetAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.09.2006 इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार को राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत टी.सी. पर आवंटित भूमि को खारिज करने का अधिकार नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई अन्य साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे स्पष्ट हो कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 08.09.2006 में वर्णित अधिसूचनाएं 15.12.2005 व 08.02.206 लागू न होती हो। इसलिए उक्त अधिसूचनाओं के तहत अप्रार्थी को आवंटित विवादग्रस्त भूमि नगरपालिका परिधि में आ चुकी है, इसलिए उसका आवंटन निरस्त करने योग्य है।

मैनें, उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में तहसीलदार, सूरतगढ के आदेश दिनांक 08.09.2006 के द्वारा अप्रार्थीगण को सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 496/7 की 6.325 है. भूमि खारिज कर दी थी, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी एलआर संख्या 3966/2019/गंगानगर अनवानी जवाहर लाल बनाम सरकार पेश हुई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 12.01.2023 के द्वारा इस आधार पर रिमाण्ड की गयी कि राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत आवंटन खारिज करने का अधिकार जिला कलक्टर को है न कि तहसीलदार को। इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 08.09.2006 नि[illegible]यालय को रिमाण्ड किया है। माननीय राजस्व मण्डल [illegible] दिनांक 12.01.2023 के अंतिम पैरा में निम्न आदेश पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

परिणामतः उपर्युक्त विवेचनानुसार हस्तगत पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2006 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्थान उप निवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकूल निर्णय पारित करें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 08.02.2023 को जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

जहां तक माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा), 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त पर आवंटित विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 496/7 की 6.325 हैक्टेयर के आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर जिला कलक्टर को है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि जुहारा राम को दिनांक 26.07.1977 को उक्त विवादित भूमि अस्थाई काश्त हेतु आवंटित हुई थी, जो बाद में जवाहर लाल के नाम से नवीनीकरण हुई है और अंतिमबार दिनांक 19.04.1988 को नवीनीकरण हुआ है इसके पश्चात उक्त विवादित भूमि का कभी नवीनीकरण नहीं हुआ है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य अप्रार्थी जवाहर लाल ने पेश किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:46 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विवादित रकबे का दिनांक 19.04.1988 के पश्चात कभी नवीनीकरण नहीं हुआ और न ही ऐसे कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है तथा वह नगरपालिका की सीमा की परिधि में आता है अर्थात पेराफेरी क्षेत्र में आता है। इस आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जाता सकता है। इस आधार पर तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा आवंटन निरस्त किया गया था। अप्रार्थी जवाहर लाल ने ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य या कोई कानूनी परिपत्र आदेश पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का अस्थाई आवंटन आगे नवीनीकरण किया गया है।

राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थी को अस्थाई काश्त हेतु एक वर्ष के लिए आवंटित की जाती है तथा टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही यह पट्टा/आवंटन स्वतः की खारिज हो जाता है।

टी.सी. भूमि आवंटी को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कानूनी नज़ीरे निम्नानुसार अवलोकनीय है :

आरआरडी 2018 पेज नं. 364

A lease for temporary cultivation come to end to an end automatically on expiry of the term of lease

आरबीजे 199 पेज नं. 214

Temporary allotment of land for cultivation – creates no right in favour of the person to whom land is temporarily allotted.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.9(77)राज–6 / 2008 / 15 दिनांक 16.03.2018 का पैरा नं. – 2 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ9(77) / राज–6 / 2008 / 15 दिनांक 31.05.2008 पूर्णतया व स्वतः स्पष्ट है जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति की भूमि टी.सी. काश्त पर उस समय आवंटित की गई हो जब व रकबा कॉलोनी क्षेत्र में था, परन्तु बाद में कॉलोनी क्षेत्र से बाहर हो गया हो तो वह व्यक्ति सीलिंग सीमा तक खातेदारी हक लेने का पात्र होगा यदि उस व्यक्ति का भूमि पर दिनांक 01.01.2001 से पूर्व लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हो।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जुहारा राम पुत्र पन्ना छींपा द्वारा दिनांक 12.07.1977 को टी.सी. आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 26.07.1977 से सूरतगढ के खसरा नम्बर 496 / 7 की 6.325 हैक्टेयर भूमि आवंटित की थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन जुहारा राम के नाम से हुआ था तथा प्रार्थना पत्र पर भी जुहारा राम के ही हस्ताक्षर मौजूद है जबकि उक्त पत्रावली में जवाहर लाल द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पेश किये हुए है तथा उक्त भूमि 19.04.1988 तक जवाहर लाल के नाम नवीनीकरण हुई है उसके पश्चात पत्रावली में कोई नवनीकरण के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और न ही अप्रार्थी जवाहर लाल कोई ऐसे दस्तावेज पेश किये है। उक्त विवादित भूमि 19.04.1988 के पश्चात [नवीनीक]रण न होने के कारण अप्रार्थी जवाहर लाल उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधीनस्थ पत्रावली में टी.सी. आवंटन जुहारा राम के नाम से एवं नवीनीकरण जवाहर लाल के नाम से हुआ है। जुहारा राम और जवाहर लाल एक ही व्यक्ति है अथवा अलग अलग?, का कोई स्पष्टीकरण / दस्तावेज अप्रार्थी जवाहर लाल ने पेश नहीं किया हैं और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है, जो यह साबित करता हो कि उक्त दोनों व्यक्ति एक ही है।

राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जाता सकता है, के सम्बन्ध में अप्रार्थी जवाहर लाल ने कोई दस्तावेज / साक्ष्य पेश नहीं किया है।

दिनांक 19.04.1988 के पश्चात अप्रार्थी जवाहर लाल के नाम से भी नवीनीकरण नहीं होने के कारण भी पट्टा / आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। इसलिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.03.2018 के अनुसार भी 01.01.2001 से अप्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त न होने के कारण, उसे उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

उपरोक्त, विवेचनानुसार कानूनी प्रावधानों एवं राज्य सरकार के आदेश की पालना में अप्रार्थी जवाहर लाल को सूरतगढ के खसरा नम्बर 496 / 7 की 6.325 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा तुरन्त लेकर उचित व्यवस्था करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति, मूल पत्रावली के साथ रखी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:07:47 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर